न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/104/2023	2023/499	23.05.2023	10.07.2023

1. ताराचन्द पुत्र झूथा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
   —प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, नीमराना जिला अलवर राज0।
2. श्रीराम पुत्र गोदाराम निवासी ग्राम रायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
3. रघुवीर पुत्र जयनारायण निवासी ग्राम रायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
4. सूरजभान पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी ग्राम रायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
5. रामानन्द पुत्र सुल्तान सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम रायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

   —अप्रार्थी असल

6. रामसिंह पुत्र झूथा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

   —तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री जितेश गागल —वकील प्रार्थी

02. श्री रामेश्वर दयाल —वकील तरतीबी अप्रार्थी सं0 6

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी ताराचन्द बनाम श्रीराम वगै0 वाद सं0 208/2022 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय—पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी ताराचन्द बनाम श्रीराम वगै0 वाद सं0 208/2022 विचाराधीन जिसे करीब 15 वर्ष हो चुके है। पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत है। पीठासीन अधिकारी वर्तमान में अप्रार्थी सं. 2 लगा0 5 के बेजा प्रभाव में चल रहे है जिसके चलते अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 वर्तमान में गांव में ऐलानिया तौर से कह रहे है कि प्रार्थी द्वारा जो वाद चलाया हुआ है, को वह शीघ्र ही स्वंय के पक्ष में निस्तारित करवा लेंगे। उपखण्ड अधिकारी के वर्तमान नजरिये से भी मिन प्रार्थी को अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 के द्वारा एलानिया कही जा रही बातों में सत्यता जान पडती है। पीठासीन अधिकारी भी प्रार्थी की किसी बात पर ध्यान नहीं देते है। मातहत अधिकारी द्वारा गत पेशी पर प्रार्थी को जाहिर किया गया कि वो केवल प्रार्थी की ही साक्ष्य दर्ज करेंगे, तरतीबी अप्रार्थी अथवा अन्य किसी साक्षी को रिकॉर्ड पर नहीं लेंगे। मातहत अदालत मिन प्रार्थी का पक्ष सुने जाने एवं न्याय मिलने की संभावना क्षीण प्रतीत हो रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील तरतीबी अप्रार्थी सं0 6 ने दौराने जवाब/बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी ताराचन्द बनाम श्रीराम वगै0 वाद सं0 208/2022 को अन्य किसी भी न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलक्टर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी ने अपने जवाब/टिप्पणी पेश कर अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र मनघडन्त रूप से पेश किया गया है। क्योंकि प्रा0पत्र 151 जवाब/बहस में दिनांक 28.06.2023 में नियत है। मुंतकिल प्रा0पत्र में पेश तथ्य बनावटी व मनघडंत है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। उक्तानुसार प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी ताराचन्द बनाम श्रीराम वगै0 वाद सं0 208/2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर, अलवर